


3.7.18

वकील पार्थी कौरा या-पम डा. धारा 152 CPC का प्रस्तुत करने पर पत्रवली का पेशा हुई। पार्थी पम में धमोरा की अपाथ डा. रश नगर धमोरा को प्रकृत कर ग्राम धमोरा जिसे जाने का निवेदन किया है। वकील पार्थी का शुक्रवादी आदेश दिनांक 22.6.18 में दर्ज डा. रश नगर धमोरा के अपाथ धमोरा प्रकृत किया जाता है। अतः आदेश डा. रश नगर दिनांक 22.6.18 का दिनांक रहेगा। पार्थी पम में शम शुक्रवादी हो


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुपरी)